an>

Title: Need to provide share in business to families whose land has been acquired for the purpose particularly in Bharuch parliamentary constituency, Gujarat.

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा (भरूच) ः मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के अंतर्गत वागरा एवं दहेज औद्योगिक क्षेत्र घोषित किये गये थे एवं इस औद्योगिक क्षेत्र के लिए जो जमीन किसानों से ली गई थी, उनको बाज़ार मूल्य के आधार पर समुचित मुआवजा नहीं मिला। जिससे एक तरफ तो उनकी जमीन को कम मूल्य पर अधिगृहीत किया गया, जिसका बाज़ार मूल्य कहीं ज्यादा था दूसरी तरफ इस क्षेत्र के किसान के पास कोई धंधा नहीं रह गया, जिसके कारण उनके परिवार भुखमरी के शिकार हो रहे हैं क्योंकि कानून के मुताबिक उनको विस्थापित परिवार की हैसियत से रोज़गार पर नहीं रखा गया। केन्द्र सरकार से इस संबंध में अनुरोध है कि विस्थापित परिवार को जमीन अधिग्रहण के लिए उनकी जमीन का मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर दिया जाये और विस्थापित परिवार के एक सदस्य को हर हाल में नौकरी दी जानी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जब भी किसी परिवार की भूमि को किसी उद्योग लगाने के लिए अधिगृहीत किया जाये तो उसको उसकी जमीन के हिस्से के अनुसार स्थापित उद्योग का मालिकाना हक दिया जाये।

भूमि अधिग्रहण के समय विस्थापित परिवार को जिस उद्योग के लिए जमीन ली गई है, उस उद्योग में उसकी जमीन के अनुरूप हिस्सेदारी दी जाये, ऐसा प्रावधान सरकार को बनाना चाहिए।